

नम्बर व  
अहकाम  
हुक्म की  
में होकर

न्यायालय अधिकारी

पदेन सहायक क्लर्क 55

करेड़ा (भिलवाड़ा)

प्रकरण सं. 107/2019 प्रार्थना पत्र

श्री लच्छुराम कुम्हार

बनाम

1-श्यामलाल कुम्हार वगै०।

दिनांक 30.12.2019.

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस समाप्त की गई। वकील प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि ग्राम निम्बाहेड़ा जाटान पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान भू अभिलेख निरीक्षक निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा स्थित आ०नं० 539 रकबा 1.00 बीघा भूमि प्रार्थी व विपक्षी सं० 26 लगायत 37 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। आ०नं० 539 में आने-जाने का एक मात्र रास्ता देवगढ से करेड़ा जाने वाले आन रोड से होकर विपक्षी सं० 1 लगायत 25 की आ०नं० 536 व 538 व प्रार्थी व विपक्षीगण की सामलाती आराजी चाह नं. 537 से होकर प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 में वर्णित आराजी नंबर 539 में से 20 फीट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं राफ्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिये सरकार द्वारा निर्धारित गुआवजे की राशे का भुगतान हेतु प्रार्थी तैयार है। प्रकरण में विपक्षी सं. 1 से 7 की ओर से वकील विपक्षी ने बहस में जवाब में वर्णित कथनों का दौहराते हुये निवेदन किया कि आ०नं० 531 गै.मु.रास्ते से होते हुये आ०नं० 534 जो स्वयं प्रार्थी की है में से होकर आ०नं० 539 आते जाते है। मौके पर प्रार्थी की आराजियात पर आने जाने का रास्ता विद्यमान है। इस कारण प्रार्थी विपक्षीगण की आराजियात में से नये तरे से रास्ता लेने का अधिकारी नहीं है। मौके के अनुसार पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य है। अन्य विपक्षीगण सं० 8 से 37 के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्ण में हो चुकी है। तहसीलदार करेड़ा की प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से ग्राम निम्बाहेड़ा जाटान की आ०नं० 531 रकबा 0.10 बीघा गै०मु० रास्ता दिलाना दर्ज रेकार्ड है। इस रास्ते से लगी प्रार्थी की आ०नं० 534 एवं 539 वादी लच्छुराम व उनके भाईयों के सामलाती में दर्ज रेकार्ड है। आ०नं० 539 में जाने के लिये आ०नं० 531 एवं 534 में होकर जा सकते है।

उपखंड अधिकारी पदेन  
सहायक क्लर्क करेड़ा

